



भारत सरकार/Govt. of India
रक्षा मंत्रालय/Ministry of Defence
रक्षा लेखा विभाग/Defence Accounts Department
कार्यालय-रक्षा लेखा नियंत्रक, रिज रोड, जबलपुर (म° प्र°) - 482001
O/o-Controller of Defence Accounts Ridge Road, Jabalpur (MP)-482001
फोन संख्या
-0761-2608012 मेल-cda-jbl@nic.in



No- CDA/FC/3201/Estt./2020-21

दिनांक: 19/02/2021

महत्वपूर्ण परिपत्र

सेवा में,


प्रभारी अधिकारी
लेखाधिकारी /सहायक लेखा अधिकारी /सहायक दुर्ग अभियंता (स्वतंत्र/परियोजना/वायु सेना)
वेतन अनुभाग- I, II, III, (स्थानीय)
वेतन तकनीकी (स्थानीय)
भंडार लेखा परीक्षा (स्थानीय)
एकल खिड़की कक्ष (स्थानीय)
स्थानीय लेखा परीक्षक (भंडार) 560 ABWS, COD
स्थानीय लेखा परीक्षक (सेना) जबलपुर, ग्वालियर, महु, भोपाल, **लाजर..**

विषय :- सामान्य भविष्य निधि डेटा का समय पर प्रतिपादन (नॉन-डीएडी) .

सभी सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के वर्ष 2020-21 के CCO-09 के समयबद्ध वितरण हेतु रक्षा लेखा नियंत्रक(निधि), मेरठ द्वारा दिनांक 12/02/2021 के अर्धशासकीय पत्र संख्या EDP/Fund Sys/28/NON- DAD के अंतर्गत कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उक्त आधार पर यह सूचित किया जाता है कि: -

1. माह फरवरी, 2021 का सामान्य भविष्य निधि अनुसूचियाँ/शैड्यूल (डेबिट/क्रेडिट) इस कार्यालय /अनुभाग में दिनांक 03/03/2021 तक अथवा उससे पूर्व पहुँच जाना चाहिए।
2. माह मार्च, 2021 के समस्त डेबिट डाटा इस अनुभाग में 16/03/2021 तक इस अनुभाग में आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाएं जिससे मार्च, 2021 तक का सामान्य भविष्य निधि डाटा निश्चित समय तक रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि), मेरठ को प्रेषित किया जा सके। इसके अतिरिक्त अनुरोध है कि मार्च, 2021 का डेबिट डाटा भेजने के पश्चात माह मार्च, 2021 में सामान्य भविष्य निधि डेबिट से संबंधित किसी भी राशि की बुकिंग / संकलन ना किया जाये।
3. माह फरवरी, 2021 को भुगतान किये गए वेतन से संबंधित TLB का सामायोजन कर सामान्य भविष्य निधि अनुसूचिया/ शैड्यूल इस अनुभाग में आवश्यक रूप से 09 मार्च 2021 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

4. इसके अतिरिक्त TLB के विषय में और Class IV वाउचर के दैनिक बुकिंग के संबंध में मुख्यालय के पत्र संख्या क्रमशः AT/II/Misc/V/ dated 26/02/2015 और A/III/12157/CMP/Vol IV dated 27/02/2015 का अवलोकन करते हुए उक्त पत्रों में दिये गए दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
5. स्थानीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी (वेतन अनुभाग) कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या क्रमशः AT/II/Misc/V/ dated 26/02/2015 के पैरा 2 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
6. इसके अतिरिक्त मुख्यालय उपरोक्त पत्र दिनांक 26/02/2015 के अनुसार 24.02.2021 से 01.03.2021 के मध्य सामान्य भविष्य निधि से संबंधित भुगतान वाउचर दैनिक आधार पर संकलित हो तथा सामान्य भविष्य निधि शैड्यूल 12/03/2021 तक इस अनुभाग में पत्राचार/ई-मेल (cdajbpcpay.dad@nic.in) के जरिये इस कार्यालय में प्रेषित करें।
7. आपके द्वारा जो भी शैड्यूल प्राप्त हो वे समीक्षा प्रमाण-पत्र (Review Certificate)के साथ प्राप्त हो तथा उन पर स्पष्ट रूप में अंकित हो कि संबंधित माह के समस्त शैड्यूल प्रेषित कर दिए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित कोई भी शैड्यूल आपके अनुभाग/कार्यालय में लंबित नहीं है। साथ ही शैड्यूल निर्धारित समयावधि में भेजना सुनिश्चित करें।
8. किसी अनुभाग/उप कार्यालय द्वारा 16 मार्च 2021 के बाद क्रेडिट/डेबिट राशि बुकिंग/संकलित करायी जाती है तो इस कक्ष के द्वारा क्रेडिट/डेबिट अनुसूची को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उस पर निधि कक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।


रक्षा लेखा उपनियंत्रक
(निधि कक्ष)